

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 1/2018-एकीकृत कर

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको एकीकृत माल और सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 32) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार